प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली
8 अगस्त 2023

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की प्रतिवेदन 'केंद्र सरकार (रेलवे) - रेलवे वित्त' संसद के पटल पर प्रस्तुत

वर्ष 2023 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 13 - 'केंद्र सरकार (रेलवे) - रेलवे वित्त' को संसद के दोनों सदनों के पटल पर 08 अगस्त, 2023 को रखी गई । यह प्रतिवेदन भारतीय रेलवे (भा. रे.) के वित्त और खातों की एक विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रदान करती है और यह 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित खातों पर आधारित है।

रिपोर्ट चार अध्यायों में संरचित है। अध्याय 1 (वित्त की स्थिति) पिछले वर्ष के संदर्भ में चालू वर्ष के दौरान भारतीय रेलवे के वित्तीय स्वास्थ्य के साथ-साथ कमाई, व्यय, भंडार, परिचालन दक्षता इत्यादि जैसे विभिन्न मानकों के आधार पर समग्र रुझानों पर केंद्रित है। रिपोर्ट के अध्याय 2 (विनियोग खाते) में 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रेलवे के विनियोग खातों का सारांश और टिप्पणियाँ शामिल हैं। रिपोर्ट के अध्याय 3 (रेलवे वाणिज्यिक उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन) में 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए रेलवे वाणिज्यिक उपक्रमों का वित्तीय अवलोकन शामिल है और रिपोर्ट के अध्याय 4 (भारतीय रेलवे में विभागीय शेष की समीक्षा) में भारतीय रेलवे में विभागीय शेष की समीक्षा पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ शामिल हैं।

2023 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 13 - केंद्र सरकार (रेलवे) - रेलवे वित्त में प्रमुख बिंदु नीचे दिए गए हैं:

अध्याय 1 (वित्त की स्थिति)

- 2021-22 के दौरान सकल यातायात प्राप्तियां ` 1,91,206.48 करोड़ थी जो 2020-21 की तुलना में 36.02 प्रतिशत अधिक थी। माल ढुलाई आय का प्रमुख योगदान था। माल ढुलाई आय का प्रमुख घटक कोयले का परिवहन लोडिंग में (47.28 प्रतिशत) और कमाई में (46.11 प्रतिशत) था।
- 2021-22 के दौरान सभी श्रेणियों की यात्री सेवाओं में 68269 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में यह नुकसान कम हुआ। माल ढुलाई से ` 36196 करोड़ का पूरा लाभ यात्री और अन्य कोचिंग सेवाओं के संचालन पर क्रॉस सब्सिडी/नुकसान की

भरपाई के लिए उपयोग किया गया था। 2021-22 के दौरान यात्री परिचालन से ` 32,073 करोड़ का नुकसान उजागर नहीं हुआ।

- रेल मंत्रालय (रे. मं.) का कुल व्यय (राजस्व और पूंजीगत शीर्ष) ` 3,96,658.66 करोड़ (पिछले वर्ष की तुलना में 35.19 प्रतिशत अधिक) था, इसमें ` 1,90,267.07 करोड़ (पिछले वर्ष की तुलना में 22.61 प्रतिशत अधिक) पूंजीगत व्यय और ₹ 2,06,391.59 करोड़ (पिछले वर्ष की तुलना में 49.31 प्रतिशत अधिक) राजस्व व्यय का हिस्सा था। । रेल मंत्रालय ने कुल कामकाजी खर्च का लगभग 75.47 प्रतिशत कर्मचारियों की लागत, पेंशन भुगतान और रोलिंग स्टॉक पर लीज किराया शुल्क पर खर्च किया।
- 2021-22 में राजस्व प्राप्तियों ₹ 191367.01 करोड़, जो 2020-21 से 35.93 प्रतिशत अधिक था, के बावजूद ` 15,024.58 करोड़ का 'शुद्ध घाटा' रहा। अधिक कामकाजी खर्च ` 2,06,391.59 करोड़ रुपये, जो पिछले वर्ष से 49.30 प्रतिशत अधिक था, के कारण घाटा हुआ ।
- आंतरिक संसाधनों के अपर्याप्त उत्पादन के परिणामस्वरूप जीबीएस और ईबीआर पर अधिक निर्भरता हुई। पूंजीगत व्यय में अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (ईबीआर) की हिस्सेदारी ` 71,065.86 करोड़ थी, जो 2020-21 की तुलना में 42.31 प्रतिशत कम हो गई।
- परिचालन अनुपात (ओ आर), जो कार्य व्यय एवं यातायात आय के अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है, 2020-21 में 97.45 प्रतिशत के मुकाबले 2021-22 में 107.39 प्रतिशत था। उच्च अनुपात कम अधिशेष उत्पन्न करने की क्षमता को इंगित करता है। भारतीय रेलवे 2021-22 के दौरान 2020-21 की तुलना में शुद्ध अधिशेष उत्पन्न नहीं कर सका। 2021-22 के दौरान पेंशन भुगतान व्यय को पूरा करने के लिए पेंशन फंड में अधिक विनियोजन के कारण यह हुआ।
- मूल्यह्रास के लिए कम प्रावधान के परिणाम स्वरूप 2021-22 तक अनुमानित 34,318.79 करोड़ रुपये के 'थ्रो फॉरवर्ड' (पुरानी संपत्तियों का नवीनीकरण और प्रतिस्थापन) कार्यों का ढेर लग गया।

अध्याय 2 (विनियोग खाते)

- रेल मंत्रालय ने राजस्व अनुदान (3002-03) के तीन उप प्रमुख शीर्ष (3002-03- (04), (06) और (08)) में स्वीकृत बजट 57626.20 करोड़ से 7,778.43 करोड़ रुपये अधिक का अतिरिक्त व्यय किया।

- वर्ष 2021-22 के दौरान 11 मामलों में (राजस्व अनुदान 3002-03 और पूंजीगत अनुदान-5002-03 के तहत) ₹ 29,888.89 करोड़ की बचत हुई, जहां प्रत्येक मामले में बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी।
- न्यायालय के आदेशों की संतुष्टि में, प्रत्याशित भुगतान के कारण ₹ 2.00 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान के रूप में अतिरिक्त बजटीय सहायता, आरोपित विनियोजन (राजस्व अनुदान के उप प्रमुख शीर्ष 3002-03-(10) के तहत) के तहत प्राप्त किए गए थे, लेकिन संपूर्ण अनुपूरक प्रावधान ₹2.00 करोड़ अप्रयुक्त रह गये ।
- 2021-22 के दौरान पूंजीगत अनुदान (5002-03) 'दत्तमत' के तहत अतिरिक्त बजटीय सहायता के रूप में अनुपूरक प्रावधान ₹ 11,415.52 करोड़ में से ₹ 10,310.13 करोड़ का उपयोग नहीं किया गया।
- 2021-22 के दौरान अदालती डिक्री के लिए पूंजीगत अनुदान (5002-03)-'प्रभारित' के तहत ₹ 606.92 करोड़ के अतिरिक्त अनुपूरक प्रावधान के अलावा ₹ 54.81 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया था।
- राजस्व अनुदान से पूंजीगत अनुदान और इसके विपरीत, 'दत्तमत' से 'प्रभारित' और इसके विपरीत एवं अन्य गलतियाँ जैसे राजस्व से राजस्व (उप प्रमुख शीर्षों के बीच), पूंजी से पूंजी (रेलवे निधियों के बीच) और राजस्व से ईबीआर के बीच व्यय के गलत वर्गीकरण के मामले थे।
- वर्ष 2021-22 के दौरान रेल मंत्रालय द्वारा 1937 मामलों में ₹ 6082.77 करोड़ का अस्वीकृत व्यय किया गया, जो कुल व्यय का 1.06 प्रतिशत था।

अध्याय 3

- मार्च 2022 के अंत में रेलवे वाणिज्यिक उपक्रमों में इक्विटी और ऋण के निवेश की राशि ₹ 4,94,739.92 करोड़ थी। भारत सरकार ने रेलवे वाणिज्यिक की चुकता शेयर पूंजी में ₹ 46,881.58 करोड़ (80.82 प्रतिशत) का योगदान दिया। उपक्रम. शेष चुकता शेयर पूंजी का योगदान वित्तीय संस्थानों (5.70 प्रतिशत), केंद्र सरकार की कंपनियों (5.36 प्रतिशत), राज्य सरकार/राज्य सरकार की कंपनियों (8.12 प्रतिशत) द्वारा किया गया था। कुल लाभ 2019-20 में ₹ 6,780.97 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 10,259.48 करोड़ हो गया।
- 2021-22 के दौरान, 29 रेलवे वाणिज्यिक उपक्रमों ने ₹ 10,622.50 करोड़ का लाभ कमाया, जिसमें से केवल 10 रेलवे वाणिज्यिक उपक्रमों ने ₹ 3,913.42 करोड़ के लाभांश

की घोषणा की थी। इसकी तुलना में, 27 रेलवे वाणिज्यिक उपक्रमों ने ₹ 7,623.40 करोड़ का लाभ कमाया था, जिसमें से 10 रेलवे वाणिज्यिक उपक्रमों ने 2020-21 के दौरान ₹ 2,799.47 करोड़ के लाभांश की घोषणा की थी।

- 31 मार्च 2022 तक सात रेलवे वाणिज्यिक उपक्रमों के शेयरों का कुल बाजार पूंजीकरण ₹ 1,50,539.69 करोड़ था। बाजार पूंजीकरण में पिछले वर्ष की तुलना में 31.40 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।
- 11 रेलवे वाणिज्यिक उपक्रमों का वर्तमान अनुपात (यानी एक कंपनी की अपने अल्पकालिक दायित्वों का भुगतान करने की क्षमता - जो एक वर्ष के भीतर देय हैं) स्वस्थ और स्वीकार्य सीमा ('1.5' से '3.0') से कम था।

- इक्विटी पर रिटर्न (आरओई), जो कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन का माप है, 2020-21 में 7.30 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 9.29 प्रतिशत हो गया।

<u>अध्याय 4</u>

- रेल मंत्रालय डिजिटल भुगतान/सीमित नकद लेनदेन के संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों का पालन करने में सक्षम नहीं था और 2017-18 से 2021-22 के दौरान ₹ 2,395.52 करोड़ का नकद लेनदेन किया।
- उत्तर रेलवे में, मार्च 2017 में औचक नकदी सत्यापन के दौरान एक कैशियर के पास से 6,79,914/- की नकदी की कमी देखी गई, जिसे विभागीय शेष के तहत प्रतिबिंबित नहीं किया गया है।
- 8 क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाइयों के पास ₹12.18 करोड़ नकदी से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा, 6 जोनल रेलवे में ₹ 69.31 करोड़ से संबंधित रिकॉर्ड लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए थे और 2 जोनल रेलवे में सेवानिवृत्त कैशियरों के खिलाफ ₹ 30.15 लाख बकाया थे।